



[2026:RJ-JD:14203-DB]



2026:RJ-JD:14203-DB

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

D.B. Criminal Appeal (DB) No. 57/2022

Gameera S/o Sh. Doola, Aged About 25 Years, R/o
Badawali Falan Dangila, Police Station Semari, District
Udaipur. (Presently Incarcerated In Central Jail, Udaipur).

----Appellant

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Jayant Joshi
Mr. Sanjay Bishnoi
For Respondent(s) : Mr. C.S. Ojha, PP

**HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR
HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA**

Judgment

1.	Date of conclusion of arguments	18.03.2026
2.	Date on which the judgment was reserved	18.03.2026
3.	Whether the full judgment or only operative part is pronounced	Full Judgment
4.	Date of Pronouncement	27.03.2026

BY THE COURT: (Per Chandra Shekhar Sharma,J)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन यह अपील अपीलार्थी-अभियुक्त ने विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, सलुम्बर, जिला उदयपुर के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 22/2017; राजस्थान राज्य बनाम गमीरा में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 304-बी भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया एवं धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध



के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर सश्रम आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया।

02. इस अपील के निस्तारण हेतु प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.05.2017 को समय 03:20 पी.एम. पर श्रीमती जीजा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमारी में इलाजरत रहते हुए ए.एस.आई. मन्नालाल को मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी.19 इस प्रकार दिए कि आज वह घर पर थी, तभी उसका अपने पति गमीरा मीणा के साथ होली से पूर्व एक बच्चे की मौत होने की बात को लेकर झगड़ा हो गया। तब उसके पति गमीरा ने घर से केरोसीन का डिब्बा लाकर उसके ऊपर केरोसीन उड़ेल दिया तथा माचिस से आग जला दी। उसका पीहर बोरी है। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं कहना है.... इत्यादि।

03. उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सेमारी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 50/2017 पंजीबद्ध की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 व 304-बी भारतीय दंड संहिता में आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सराड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया, तत्पश्चात् यह प्रकरण कमिट होकर विद्वान विचारण न्यायालय में प्राप्त हुआ।

04. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने बहस चार्ज सुनकर अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दंड संहिता विकल्प में धारा 304-बी भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए, अपीलार्थी-अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझकर अस्वीकार किया और अन्वीक्षा की मांग की।

05. दौराने अन्वीक्षा आरोपों की पुष्टि में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 28 गवाहान परीक्षित हुए एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 से



प्रदर्श पी.31 दस्तावेज प्रदर्शित हुए। अभियुक्त का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षण किया गया, जिसमें उसने साक्ष्य अभियोजन को गलत बताते हुए स्वयं को झूठा फंसाना कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश करना चाहते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। वह पांचवी तक पढ़ा लिखा है। उसने जीजा के ऊपर केरोसीन नहीं डाला, न आग लगाई। उसने स्वयं कहा जीजा से उसकी शादी घटना के करीब 2-3 वर्ष पूर्व हुई थी। जीजा को पहले भी भाव आते थे। पहले भी जीजा ने भाव आते हुए जलता हुआ दिया (दीपक) पकड़ लिया था। उसकी सासु मां बीमार थी तो जीजा 2-2½ वर्ष से ससुराल में रह ही थी, वहां भी उसने भाव आते हुए दीपक को पकड़ लिया था। घटना के समय वह खेत में था। उसे चिल्लाने की आवाज आई, तो वह घर पर आया। जीजा को रोटी बनाते समय भाव आ गए इसलिए चूल्हे की आग से उसके कपड़ों में आग लग गई और वह जल गई। उसने बुझाने का प्रयास किया तो उसके हाथ पैर भी जल गए। फिर उसके पिताजी और हामजी, लाली और झूमली और मोहन आए। वहां से जीजा को अस्पताल ले गए। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी.01 व प्रदर्श डी.02 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उभयपक्षों की बहस सुनकर उपर्युक्तानुसार निर्णय व दंडादेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी-अभियुक्त ने यह अपील प्रस्तुत की है।

06. हमने अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता एवं योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी, आक्षेपित निर्णय-दण्डादेश व अभिलेख का अवलोकन किया।

07. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि सर्वप्रथम मृतका श्रीमती जीजा के जो बयान प्रदर्श



पी.19 मृत्युकालिक कथनों के रूप में दर्ज किए गए थे, इन बयानों में ऊपर की तीन से चार लाइन नजदीक रूप से लिखी हुई है, इसके पश्चात् जो ई से एफ डॉक्टर का पृष्ठांकन एवं जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं, इसमें भी स्याही का अंतर है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मृत्युकालिक कथनों के आधार पर ही अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम की गई है। जबकि अन्य साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं हो रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से ही पेश किए गए गवाहान क्रमशः पी.डब्ल्यू.04 हामजी, पी.डब्ल्यू.09 लाली, पी.डब्ल्यू.10 झोमली, पी.डब्ल्यू.12 मोहन, पी.डब्ल्यू.14 हूरजी, पी.डब्ल्यू.15 नानूराम उर्फ नानालाल, पी.डब्ल्यू.17 इन्द्रा व पी.डब्ल्यू.20 भेरा से भी अभियोजन पक्ष की साक्ष्य का समर्थन नहीं होता है और उक्त गवाहान पक्षद्रोही रहे हैं। इनकी साक्ष्य में भी यह तथ्य आया है कि मृतका श्रीमती जीजा को भाव आया करते थे, पूर्व में भी उसने भाव आने के दौरान जलने का प्रयास किया गया था। घटना वाले दिन भी वह आग लेकर दौड़ी थी, जिससे कपड़ों में आग लग गई थी। अपीलार्थी द्वारा भी विचारण के दौरान जो कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में किए गए हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि वह स्वयं घटना के वक्त अपने खेत पर था और मृतका को भाव आते थे, इसी कारण से ही चूल्हे की आग से उसके कपड़ों में आग लग गई थी। चिल्लाने की आवाज सुनकर ही वह अपने घर पर आया और आग बुझाने का प्रयास करने में उसके भी हाथ-पैर जल गए थे। घटनास्थल से जो केरोसीन की बोतल और माचिस की डिब्बी जब्त करना बताया गया है, यह साक्ष्य उसी अनुरूप प्रमाणित नहीं है। प्रदर्श पी.19 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मृतका श्रीमती जीजा बयान देने की सही स्थिति में थी, इस बाबत डॉक्टर का कोई प्रमाण-पत्र भी नहीं है, जबकि वह 90 से 95 प्रतिशत तक जली हुई थी। साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि जब मृतका को एम्बुलेंस से अस्पताल



लाया गया, तब वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। अतः प्रदर्श पी.19 जो कथन मृतका द्वारा किए जाने बताए गए हैं, उन पर संदेह रहता है। घटना से पूर्व से ही मृतका और अपीलार्थी के बीच किसी प्रकार का विवाद भी नहीं था, न ही अपीलार्थी द्वारा मृतका को किसी बात को लेकर तंग व परेशान किया जाता था। चूंकि घटना मृतका को अचानक भाव आने की वजह से ही घटित हुई थी, इसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं था। ऐसा भी कोई गवाह नहीं है, जिसने मृतका को जलाते हुए अपीलार्थी को देखा हो। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी.19 बयानों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी की जो दोषसिद्धि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई है, वह न्यायोचित नहीं है। फिर भी यदि न्यायालय को लगता है कि अपीलार्थी के किसी कृत्य की वजह से श्रीमती जीजा की मृत्यु हुई थी, तो भी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि स्वयं मृतका के बच्चे नहीं रहने की वजह से ही अपीलार्थी एवं मृतका के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इस प्रकार अचानक प्रकोपन में यदि कोई घटना घटित हुई है, तो इसके लिए अपीलार्थी को साशय अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या का जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। अधिक से अधिक अपराध अंतर्गत धारा 304 भाग-I या भाग-II भारतीय दंड संहिता के तहत ही अपीलार्थी की दोषसिद्धि हो सकती थी। इस प्रकार उपर्युक्त सभी आधारों पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की जो दोषसिद्धि अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता में की गई है, वह अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए न्यायोचित नहीं होने से यह अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दोषसिद्ध अपराध में दोषमुक्त करने का निवेदन किया। उक्त तर्कों के समर्थन में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **Criminal Misc. Bail Application**



(AB) 515 में दिनांक 02.12.2022 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की।

08. उक्त तर्कों के खंडन में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिए गए कि जैसे ही अनुसंधान अधिकारी को एक औरत के जलने की सूचना मिलती है, तब अविलम्ब थाने में ही तैनात ए.एस.आई. पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल को हॉस्पिटल भेजा जाता है, जिसके द्वारा डॉक्टर नरेन्द्र कुमार की उपस्थिति में प्रदर्श पी.19 पर्चा बयान मृतका के कहे अनुसार ही लेखबद्ध किए जाते हैं। यदि इन बयानों के प्रारंभ की तीन-चार लाइनें नजदीक में लिखी हुई हैं, तो इस आधार पर ही कथनों पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रारम्भ में लिखने की शुरुवात करने वाले पर भी निर्भर करता है। स्याही का जो अंतर बताया गया है, वह डॉक्टर नरेन्द्र कुमार द्वारा पृथक से पृष्ठांकन बाबत है। इस प्रकार यदि एक अलग पेन का डॉक्टर नरेन्द्र कुमार द्वारा प्रयोग किया गया है, तो इस आधार पर भी प्रदर्श पी.19 पर संदेह नहीं किया जा सकता है। प्रदर्श पी.19 के संदर्भ में जो मुख्य आक्षेप लगाया गया है, वह यही है कि मृतका के बयान देने की स्थिति में होने बाबत उपस्थित डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। परन्तु प्रत्येक परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि कथन लेखबद्ध करने से पूर्व उसके बयान देने की स्थिति में होने बाबत प्रमाण-पत्र लिया जाए, विशेषकर इस स्थिति में जबकि पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल, जब मृतका के कथन लेखबद्ध कर रहा था, उस वक्त इलाज करने वाला डॉक्टर नरेन्द्र कुमार भी वहीं उपस्थित था और उन दोनों ही गवाहान की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इन्होंने मृतका को बयान देने की सही स्थिति में पाया था। जिस प्रकार की घटना मृतका द्वारा बताई गई है, उसके अनुरूप ही घटनास्थल से मृतका के जले हुए कपड़े, केरोसीन की बोतल और केरोसीन से ही सनी हुई मिट्टी एवं



सादा मिट्टी भी जब्त की गई थी, जिनको परीक्षण हेतु भी प्रेषित किए जाने पर जो एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी.30 प्राप्त हुई है, उससे भी घटनास्थल से जब्तशुदा सामानों में केरोसीन पाए जाने की पुष्टि होती है। मात्र कुछ गवाहान के पक्षद्रोही होने के आधार पर ही अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई अन्य साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति पर गौर करते हुए ही अपीलार्थी की जो दोषसिद्धि अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता में की गई है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से यह अपील खारिज करने का निवेदन किया।

09. हमने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रदर्श पी.19 श्रीमती जीजा के जो पर्चा बयान मन्नालाल, ए.एस.आई. द्वारा लेखबद्ध किए गए थे, उन पर सर्वप्रथम इस बात को लेकर संदेह किया गया है कि कथन लेखबद्ध करते वक्त वह बयान देने की सही स्थिति में थी, इस आशय का कोई प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया था। परंतु इस संदर्भ में मृत्युकालिक कथनों बाबत यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रत्येक अवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करते समय उसके बयान देने की सही स्थिति में होने बाबत प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक हो। बल्कि यह एक सावधानी का नियम है। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता हो कि जिस व्यक्ति द्वारा कथन लेखबद्ध किए गए थे, उसकी यह संतुष्टि थी कि पीड़ित बयान देने की सही स्थिति में था, तो ऐसे मृत्युकालिक कथनों को स्वीकार किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Laxman v. State of Maharashtra; AIR 2002 SUPREME COURT 2973** में भी यह स्पष्ट किया गया है कि मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने से पूर्व डॉक्टर द्वारा उसके बयान देने की सही स्थिति में



होने का प्रमाण—पत्र लिया जाना सावधानी का नियम (Rule of caution) है, केवल इसके नहीं होने के आधार पर ही यह नहीं कह सकते कि ऐसे कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। यदि ऐसे कथन लेखबद्ध करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि हो जाती है कि बयान देने वाला सही स्थिति में है, अन्य साक्ष्य से पुष्टि होने पर ऐसे कथन स्वीकार किए जाने योग्य हैं। उक्त निर्णय एवं इसके साथ—साथ अन्य निर्णयों का भी उल्लेख करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Purshottam Chopra and Ors. v. State (Govt. of NCT Delhi); AIR 2020 SC 476** में पारित आदेश दिनांक 07.01.2020 के पैरा संख्या 21 में भी मृत्युकालिक कथनों के संदर्भ में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :—

"**21.** For what has been noticed hereinabove, some of the principles relating to recording of dying declaration and its admissibility and reliability could be usefully summed up as under:-

(i) A dying declaration could be the sole basis of conviction even without corroboration, if it inspires confidence of the Court.

(ii) The Court should be satisfied that the declarant was in a fit state of mind at the time of making the statement; and that it was a voluntary statement, which was not the result of tutoring, prompting or imagination.

(iii) Where a dying declaration is suspicious or is suffering from any infirmity such as want of fit state of mind of the declarant or of like nature, it should not be acted upon without corroborative evidence.



(iv) When the eye-witnesses affirm that the deceased was not in a fit and conscious state to make the statement, the medical opinion cannot prevail.

(v) The law does not provide as to who could record dying declaration nor there is any prescribed format or procedure for the same but the person recording dying declaration must be satisfied that the maker is in a fit state of mind and is capable of making the statement

(vi) Although presence of a Magistrate is not absolutely necessary for recording of a dying declaration but to ensure authenticity and credibility, it is expected that a Magistrate be requested to record such dying declaration and/or attestation be obtained from other persons present at the time of recording the dying declaration.

(vii) As regards a burns case, the percentage and degree of burns would not, by itself, be decisive of the credibility of dying declaration; and the decisive factor would be the quality of evidence about the fit and conscious state of the declarant to make the statement.

(viii) If after careful scrutiny, the Court finds the statement placed as dying declaration to be voluntary and also finds it coherent and consistent, there is no legal impediment in recording conviction on its basis even without corroboration."



10. इस प्रकरण में भी सबसे पहले अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.28 योगेन्द्र के अनुसार एक महिला के जलने की सूचना मिलने पर उसके द्वारा मन्नालाल, ए.एस.आई. को भेजा गया था और उसी के ही द्वारा प्रदर्श पी.19 मृतका श्रीमती जीजा के पर्चा बयान दिनांक 29.05.2017 को बमुकाम सी.एच.सी. सेमारी में समय 3:20 पी.एम. पर लेखबद्ध करना शुरू किए गए थे और उस वक्त इलाज करने वाला डॉक्टर नरेन्द्र कुमार भी मौजूद था। कथन लेखबद्ध करने के पश्चात् इसके आई से जे भाग में कार्यवाही पुलिस का इंड्राज किया गया था, जिसमें इस बात का भी उल्लेख है कि जो मृतका जैर इलाज थी, उसने अपने बयान के द्वारा घटना की इत्तिला दी थी। इसके पश्चात् मन्नालाल, ए.एस.आई. घटनास्थल पहुंचकर वहां के हालात को सुरक्षित करते हुए पुलिस थाना सेमारी पहुंचता है, तत्पश्चात् 7:30 पी.एम. पर प्रदर्श पी.19 लिखित रिपोर्ट अर्थात् जो मौखिक बयान मृतका द्वारा दिए गए थे, उसे लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता में दर्ज करते हुए योगेन्द्र कुमार, एस.एच.ओ. द्वारा अनुसंधान स्वयं के जिम्मे लिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में प्रदर्श पी.19, जो मौखिक बयान मृतका द्वारा मन्नालाल, ए.एस.आई. के समक्ष किए जाने पर उसके कथनों के आधार पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। तत्पश्चात् जब श्रीमती जीजा की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है, तब ही उक्त प्रदर्श पी.19 को मृत्युकालिक कथनों के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के **Dharam Pal and Ors. v. State of U.P.; 2008 (3) RLW 2575 (SC)** एवं **Dayaram & Anr. v. State of Madhya Pradesh; 2020 (1) Criminal 104** में पारित निर्णयों के अनुसार भी जहां प्रारम्भ में कथन मृतक द्वारा दर्ज करवाए जाने के पश्चात्



उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कथन मृत्युकालिक कथनों की श्रेणी में आते हैं।

11. प्रदर्श पी.19 मृतका श्रीमती जीजा द्वारा जो कथन किए गए थे, वे मन्नालाल, ए.एस.आई. द्वारा लिखे गए थे और इन कथनों में मृतका द्वारा बमुकाम सी.एच.सी. सेमारी में इलाज के दौरान यह कथन किए गए थे कि आज दिनांक 29.05.2017 को मैं घर पर थी। तभी मेरे पति गमीरा मीणा ने मुझसे, मेरे तीन लड़के बच्चे बच्चियां थी, जिनकी मौत को गई है। एक बच्चे की होली से पूर्व मौत हो गयी थी, इस बात को लेकर मेरा तथा मेरे पति गमीरा के बीच झगड़ा हो गया। तब मेरे पति गमीरा ने घर से केरोसीन का डिब्बा लाकर मेरे उपर केरोसीन उड़ेल दिया तथा माचिस से आग जला दी। मेरे पति गमीरा द्वारा मेरे उपर केरोसिन उड़ेल आग जलायी है, जिससे मैं जली हूँ। उक्त कथन दिनांक 29.05.2017 को 3:20 पी.एम. पर मन्नालाल, ए.एस.आई. द्वारा लेखबद्ध किए गए थे और पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान यह कहा कि उसे घटना की सूचना दिनांक 29.05.2017 को थानाधिकारी योगेन्द्र व्यास के द्वारा दी गई थी और गवाह ने यह भी कहा कि वह दिनांक 29.05.2017 को पुलिस थाना सेमारी में ए.एस.आई. के पद पर था। उसी दिन एस.एच.ओ. साहब ने उसे बताया कि सी.एच.सी. सेमारी से सूचना मिली है कि एक औरत जली हुई हालत में भर्ती है। इस सूचना पर वह, रमेश व सरकारी जीप व चालक के थाने से रवाना होकर सी.एच.सी. सेमारी पहुंचा, जहां श्रीमती जीजा इलाजरत थी और इस गवाह ने एम.ओ. साहब को यह तहरीर दी कि वह बयान देने लायक है या नहीं, जिस पर एम.ओ. नरेन्द्र ने लिखित में बयान लायक होना बताया था। तत्पश्चात् उसने एम.ओ. नरेन्द्र जी की मौजूदगी में मजरूबा जीजा के बयान लेखबद्ध किए और श्रीमती जीजा ने अपने बयानों में बताया कि—



दिनांक 29.05.2017 को मैं घर पर थी, तभी मेरे पति गमीरा मीणा ने मुझसे मेरे तीन लड़के व लड़कियां थी, जिनकी मौत हो गई है। एक बच्चे की मौत होली से पूर्व हो गई थी, इस बात को लेकर मेरा व पति गमीरा के बीच झगड़ा हो गया, तब मेरे पति गमीरा ने घर से केरोसीन का डिब्बा लाकर मेरे उपर उड़ेल दिया और माचिस की तीली जला कर आग लगा दी। मेरे पति गमीरा पिता दोला मीणा, निवासी बडावली फला डंगीला ने मेरे उपर केरोसीन उड़ेल आग लगा मुझे जान से मारने का प्रयास किया है जिससे मैं जली हूं। मेरा पीहर बोरी है। इस गवाह के अनुसार इसके द्वारा बयान लेने के पश्चात् श्रीमती जीजा को उदयपुर भी रेफर किया था और इस ने अविलम्ब घटनास्थल पहुंचकर पहले घटनास्थल को सुरक्षित किया था, तत्पश्चात् पुलिस थाना पहुंचकर एस.एच.ओ. के समक्ष बयानों को पेश करने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। गवाह द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि श्रीमती जीजा के बयान उसके कहे अनुसार एम.ओ. साहब की उपस्थिति में लेखबद्ध किए गए थे, जो प्रदर्श पी.19 है, जिस पर एक्स स्थान पर जीजा की अंगूठा निशानी है व ए से बी स्थान पर उसके द्वारा दिए गए कथन व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया कि वह सूचना मिलने के बाद सीधे अस्पताल गया था। उसके द्वारा डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि उसका गले से नीचे का पूरा हिस्सा जला हुआ है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जीजा चेहरे से जली हुई नहीं थी। गवाह के अनुसार जब वह जीजा के बयान ले रहा था, वहां पर एम.ओ. साहब उपस्थित थे और वहीं पर बयान लेने का उन्होंने एंडोर्समेंट लगाया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा डॉक्टर साहब को जीजा बयान देने की स्थिति में है या नहीं, वह तहरीर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह भी स्वीकार किया कि जब बयान लिए, तब श्रीमती जीजा इलाजरत हो अस्पताल में थी। यह भी स्वीकार किया कि



प्रदर्श पी.19 जीजा के बयान पर जीजा की अंगूठा निशानी है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि उक्त अंगूठा निशानी किस हाथ की है। उक्त गवाह के अनुसार इसके द्वारा जब बयान लिए जा रहे थे, उस वक्त मृतका का इलाज करने वाला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नरेन्द्र भी वहां मौजूद था, जिनकी उपस्थिति में ही कथन लेखबद्ध किए गए थे। यद्यपि यह बात सही है कि अभिलेख पर मृतका के बयान देने की सही स्थिति में होने बाबत कोई प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन गवाह के अनुसार इसके द्वारा मृतका का इलाज करने वाले डॉक्टर की उपस्थिति में ही कथन लेखबद्ध किए गए थे और गवाह की साक्ष्य के अनुसार वह बोलने की स्थिति में भी थी। पी.डब्ल्यू.23 नरेन्द्र कुमार ने भी अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि वह दिनांक 29.05.2017 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमारी पर एम.ओ. के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्रीमती जीजा पत्नी गमीरा, जाति मीणा, उम्र 25 वर्ष, बमुकाम सी.एच.सी. सेमारी में इलाज के दौरान बयान दिया था, जिसमें उसने यही बताया था कि— मेरे पति दिनांक 29.05.2017 को, मैं घर पर थी तभी मेरा पति गमीरा मीणा ने मुझसे, मेरे तीन लड़के व लड़कियां थी, जिसकी मौत हो गई है, एक बच्चे की मौत होली से पूर्व हो गई थी, इस बात को लेकर मेरा व पति गमीरा के बीच झगड़ा हो गया, तब मेरे पति गमीरा ने घर से केरोसीन का डिब्बा लाकर मेरे उपर उड़ेल दिया और माचिस की तीली जला कर आग लगा दी। उक्त बयान ए.एस.आई. मन्नालाल ने जीजा के कहे अनुसार इसकी उपस्थिति में लेखबद्ध करवाए थे, जो प्रदर्श पी.19 है, जिस पर ए से बी जीजा के कथन, एक्स स्थान पर जीजा की अंगूष्ठ निशानी है व ई से एफ उसके द्वारा किया गया पृष्ठांकन है, जी से एच उसके हस्ताक्षर मय सील हैं। प्रतिपरीक्षण में भी गवाह ने कहा कि जीजा का इलाज सेमारी अस्पताल में प्रथम बार जब अस्पताल लाया गया, तब उसके द्वारा ही किया गया। जीजा का शरीर करीब 92 से



95 प्रतिशत जल गया था। श्रीमती जीजा इलाज के दौरान करीब आधे से एक घंटे की बीच में रुकी होगी। जीजा को सेमारी अस्पताल में लाने तक व उसे उदयपुर अस्पताल के लिए रेफर करने तक जीजा का इलाज चालू ही रहा था और उसकी हालत ज्यादा गंभीर होने से उसे उदयपुर रेफर किया था। जीजा ने जब अस्पताल में बयान दिए थे, वह संबंधित पुलिस के द्वारा लिखे गए थे। यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी.19 जीजा के बयान पर अंगूठा निशानी जीजा की ही है। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों ही गवाहान के कथनों से यह स्पष्ट है कि जो कथन प्रदर्श पी.19 मृतका श्रीमती जीजा द्वारा पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल, ए.एस.आई. के समक्ष किए गए थे, उस वक्त इलाज करने वाला डॉक्टर पी.डब्ल्यू.23 नरेन्द्र कुमार भी वहां मौजूद था और इसके अनुसार भी बयान लेखबद्ध करते समय श्रीमती जीजा द्वारा जो बात कही गई थी, उसी को ही संबंधित पुलिस द्वारा लेखबद्ध किया गया था और इस पर जो अंगूठा निशानी थी, वह भी जीजा की ही थी। इस प्रकार जब पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल द्वारा कथन लेखबद्ध किए जा रहे थे, उस समय इलाज करने वाला डॉक्टर भी वहीं मौजूद था, जिसकी उपस्थिति में श्रीमती जीजा के प्रदर्श पी.19 कथन लेखबद्ध किए गए थे। इस स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि मृतका श्रीमती जीजा कथन करने की सही स्थिति में नहीं हो। बल्कि प्रदर्श पी.19 के ई से एफ भाग में उपस्थित डॉक्टर का इस आशय का पृष्ठांकन भी है कि श्रीमती जीजा पत्नी गमीरा ने उसके समक्ष पुलिस को बयान दिए हैं। तत्पश्चात् उपस्थित डॉक्टर द्वारा जी से एच अपने हस्ताक्षर मय सील अंकित किए गए थे। उक्त बयानों के प्रारम्भ की तीन लाइनें यदि नजदीक लिखी गई है, तो इसी आधार पर ही इन कथनों पर संदेह नहीं किया जा सकता, विशेषकर इस स्थिति में, जबकि प्रदर्श पी.19 एक ही व्यक्ति द्वारा लेखबद्ध किए गए थे और ई से एफ एवं जी से एच हिस्से में जो स्याही का अंतर



होना बताया गया है, वह भी इस कारण से संभव है कि जिस मन्नालाल, ए.एस.आई. द्वारा प्रदर्श पी.19 बयान लेखबद्ध किए गए थे, उसके द्वारा जिस पेन का प्रयोग किया गया, उसके अलावा दूसरे पेन का ही प्रयोग करते हुए उपस्थित डॉक्टर द्वारा ही ई से एफ का पृष्ठांकन एवं जी से एच हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त दोनों ही स्थिति अलग-अलग व्यक्तियों के हाथ की है और पेन का प्रयोग भी अलग-अलग हुआ, इस कारण से स्याही में अंतर आना संभव भी था।

12. पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल एवं पी.डब्ल्यू.23 नरेन्द्र कुमार द्वारा जो कथन विचारण न्यायालय के समक्ष करते हुए प्रदर्श पी.19 को उसी अनुरूप प्रमाणित करवाया गया था, इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू.11 विकास को भी पेश किया गया है। यह वह व्यक्ति है, जो कि घटना के दिन अस्पताल की एम्बुलेंस में चालक के पद पर था। इसने भी साक्ष्य के दौरान यह कहा कि वह दिनांक 29.05.2017 को एम्बुलेंस चालक के पद पर कार्यरत था। उस दिन नियंत्रण कक्ष से उसके पास फोन आया था और बताया गया था कि डंगीला लिमडी में कोई औरत जल गई है, जिसे सी.एच.सी. सेमारी लाना है, तो वह 2:58 पी.एम. पर एम्बुलेंस लेकर रवाना हुआ तथा उसको लाकर अस्पताल में भर्ती करवाया था। इसी दिन वापस 05:25 पी.एम. पर उदयपुर रेफर के लिए उसके पास मैसेज आया तो वह आहत जीजा बाई पत्नी गमीरा को लेकर उदयपुर अस्पताल के लिए रवाना हुआ, जिसको वहां पर भर्ती करवाकर वापस रवाना हुआ। आहत गाड़ी में चिल्लाकर कह रही थी कि उसके पति ने उसे केरोसीन डालकर जला दिया है, उसे जल्दी अस्पताल ले जाओ, नहीं तो वह मर जाएगी। इस गवाह ने साक्ष्य के दौरान एम्बुलेंस के रिकॉर्ड का रजिस्टर भी पेश किया था, जो प्रदर्श पी.13 असल होकर उसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी.13-ए होना बताया और यह भी



बताया कि असल रजिस्टर प्रदर्श पी.13 के मई, 2017 के विवरण के क्रमांक 122 के ए से बी व सी से डी भाग पर आहत का घर से सेमारी अस्पताल व सेमारी से उदयपुर ले जाने का विवरण तथा ई से एफ भाग पर उदयपुर सामान्य अस्पताल के चिकित्सक के हस्ताक्षर मय मोहर हैं तथा जी से एच भाग में उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में भी साक्ष्य दी है कि उसे एम्बुलेंस चलाते हुए सात साल हो चुके हैं। यह छोटी एम्बुलेंस 104 थी। जब वे अस्पताल खाना हुए तो आहत जीजा के साथ तीन-चार लोग आए थे, जिनमें से एक-दो महिलाएं थीं। सेमारी अस्पताल में आहत जीजा करीब एक घंटे तक रही। उसके पुलिस बयान उसने पुलिस के पूछने पर बताए थे। आहत जीजा के साथ कौन-कौन लोग थे, वह किसी का नाम नहीं जानता है। इस प्रकार पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल व पी.डब्ल्यू.23 नरेन्द्र कुमार ने जो साक्ष्य दी है, उसका समर्थन पी.डब्ल्यू.11 विकास के कथनों से भी होता है, जो कि तत्कालीन समय में एम्बुलेंस का चालक था और सर्वप्रथम इत्तिला मिलने पर इसी के द्वारा ही मृतका को घटनास्थल से सी.एच.सी. सेमारी लाकर भर्ती कराया गया, तत्पश्चात् उसे उदयपुर रेफर करने पर इसी ने ही मृतका को उदयपुर ले जाकर भर्ती करवाया था। इस बाबत गवाह द्वारा असल रजिस्टर भी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है। साथ ही गवाह की साक्ष्य के अनुसार जिस समय वह एम्बुलेंस में था, तब भी मृतका ने अपने पति द्वारा केरोसीन डालकर जलाने के कथन किए थे। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों में से जो पक्षद्रोही रहे हैं, उनसे भी प्रतिपरीक्षण के दौरान अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह कहलवाया गया है कि जिस वक्त मृतका घर पर जली थी, तब वह बोलने की स्थिति में नहीं थी और इसी कारण से ही उनका कहना है कि प्रदर्श पी.19 कथन करते समय भी वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि



वह लगभग 90 से 95 प्रतिशत तक जली हुई अवस्था में थी। लेकिन इस संदर्भ में जब अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.28 योगेन्द्र से प्रतिपरीक्षण के दौरान सुझाव में जो प्रश्न पूछे गए थे, उसके उत्तर में गवाह ने कहा कि— “यह कहना सही है कि मन्नालाल जी ने उसी दिन 3:30 बजे मृतका जीजा के बयान लेखबद्ध किए थे और इस गवाह के अनुसार इलाज करने वाले चिकित्सक नरेन्द्र शर्मा के भी धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में बयान लेखबद्ध किए थे।” इस प्रकार पी.डब्ल्यू.28 अनुसंधान अधिकारी योगेन्द्र से सुझाव में जो प्रश्न पूछा गया, उसे सही बताते हुए ही गवाह ने कहा कि उसी दिन मन्नालाल जी द्वारा मृतका जीजा के बयान लेखबद्ध किए गए थे। अतः इस स्थिति में भी जो मृतका के बयान देने की सही स्थिति में नहीं होने बाबत अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए हैं, वह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और वैसे भी मात्र कथन करने वाली महिला के 90 से 95 प्रतिशत जली होने की स्थिति के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि वह बयान देने की सही स्थिति में नहीं रही हो। इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्णय **Purshottam Chopra (Supra)** में यही कहा गया है कि मात्र कथन करने वाले के 100 प्रतिशत जले होने के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि वह बयान देने की स्थिति में नहीं था।

13. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्णय **Pawan Kumar v. State of H.P.; Criminal Appeal No. 775 of 2017** में भी मृतका द्वारा अपने ऊपर केरोसीन डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। मृत्यु पूर्व बयान में उसने इसके लिए अभियुक्त को जिम्मेदार बताया था। मौखिक मृत्युकालिक कथन को कांस्टेबल द्वारा डॉक्टर की उपस्थिति में लेखबद्ध किया गया था। जबकि उसके बयान देने की सही स्थिति में होने का प्रमाण—पत्र भी नहीं था। उक्त निर्णय में यह



भी कहा गया था कि 80 प्रतिशत जले होने के ही आधार पर यह नहीं मान सकते कि वह बयान देने की स्थिति में न हो। मृतका के बयान कि अन्य साक्ष्य से पुष्टि होने पर वे सही होते हैं एवं इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय

Bhagwan v. State of Maharashtra through Secretary Home, Mumbai; AIR 2019 SUPREME COURT 4170 में भी यह कहा गया है कि मृत्युकालिक कथन में आहत का शरीर 92 प्रतिशत जला हुआ था, ऐसी स्थिति में भी यह नहीं कह सकते कि वह बयान देने की सही स्थिति में नहीं हो, साथ ही ऐसे कथन विश्वास योग्य होने से दोषसिद्धि भी की गई थी। इस प्रकार उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि कथन करने वाली श्रीमती जीजा प्रदर्श पी.19 बयान देते वक्त अपने बयान देने की सही स्थिति में नहीं हो।

14. इस प्रकरण में घटित हुई घटना के अनुसार तो यह स्वीकृत स्थिति है कि घटना अपीलार्थी के घर के अंदर घटित हुई थी। इस स्थिति में उसके लिए यह आवश्यक था कि उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता, जिन परिस्थितियों की वजह से घटना घटित हुई थी। अपीलार्थी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में निम्न बात कही है :—

“मैं निर्दोष हूं। झूठा फंसाया गया हूं। मैं पांचवी तक पढ़ा-लिखा हूं। मैंने जीजा के ऊपर केरोसीन नहीं डाला, न आग लगाई, स्वयं कहा जीजा से मेरी शादी घटना के करीब 2—3 वर्ष पूर्व हुई थी। जीजा को पहले भी भाव आते थे। पहले भी जीजा ने भाव आते हुए जलता हुआ दिया (दीपक) पकड़ लिया था। मेरी सासु मां बीमार थी तो जीजा 2-2½ वर्ष से ससुराल में रह रही थी, वहां भी उसने भाव आते हुए दीपक को पकड़ लिया था। घटना के समय मैं खेत में था। मुझे चिल्लाने की आवाज आई तो मैं घर पर आया। जीजा को रोटी बनाते समय भाव आ गए, इसलिए चूल्हे की आग से उसके कपड़ों में आग लग गई और वह जल गई। मैंने बुझाने का प्रयास किया तो मेरे हाथ पैर भी



जल गए। फिर मेरे पिताजी और हामजी, लाली और झूमली और मोहन आए। वहां से जीजा को अस्पताल ले गए।”

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उसके अनुसार उसने स्वयं को घटना के वक्त खेत पर होना बताया है और यह कहा है कि मृतका के भाव आते थे और रोटी बनाते समय भाव आ जाने से चूल्हे की आग से उसके कपड़ों में आग लग गई थी, फिर चिल्लाने की आवाज सुनकर ही वह घर पर आया था। तत्पश्चात् आग बुझाने का प्रयास करने पर उसके भी हाथ व पैर जल गए थे। उक्त जो स्पष्टीकरण अपीलार्थी द्वारा दिया गया है, वह उसी अनुरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है, क्योंकि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा ही पेश किए गए गवाहान में से पी.डब्ल्यू.09 लाली, पी.डब्ल्यू.10 झोमली पक्षद्रोही रहे थे। लेकिन अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से इनसे प्रतिपरीक्षण करते समय दोनों ही गवाहों द्वारा यह कहा गया कि मृतका श्रीमती जीजा के भाव आते थे और घटना के समय भी जीजा के हाथ में जलता हुआ दीपक था और दीपक की लौ से ही उसके कपड़ों पर आग लग गई थी। जबकि अपीलार्थी ने अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में चूल्हे की आग से मृतका के कपड़ों में आग लग जाना बताया है। यह स्वीकृत स्थिति है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों में क्रमशः पी.डब्ल्यू.04 हामजी, पी.डब्ल्यू.09 लाली, पी.डब्ल्यू.10 झोमली, पी.डब्ल्यू.12 मोहन, पी.डब्ल्यू.14 हूरजी, पी.डब्ल्यू.15 नानूराम उर्फ नानालाल, पी.डब्ल्यू.17 इन्द्रा व पी.डब्ल्यू.20 भेरा पक्षद्रोही रहे हैं और पक्षद्रोही होने के पश्चात् अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता की ओर से इनसे प्रतिपरीक्षण में यह तो कहलवा दिया कि मृतका जीजा को भाव आते थे और वह आग लेकर दौड़ी थी, जिससे कपड़ों में आग लग गई, जबकि यह भी स्वीकृत स्थिति है कि इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार के कथन पक्षद्रोही गवाहान द्वारा किए गए



हैं, वे उसी अनुरूप स्वीकृत किए जाने योग्य नहीं हैं। साथ ही उक्त सभी पक्षद्रोही गवाहान ने यह भी नहीं कहा कि उस वक्त मौके पर अपीलार्थी गमीरा भी मौजूद हो और जिसके द्वारा मृतका की आग को बुझाने का प्रयास किया गया था। इस संदर्भ में भी प्रदर्श पी.02, जो कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी की फर्द है, उसमें भी इस बात को लेकर उल्लेख आया है कि—

“अभियुक्त के बताये अनुसार अपनी पत्नी जीजा जलती हुई अभियुक्त की तरफ आने से अभियुक्त द्वारा दाहिने पांव से लात मारने से पांव के नीचे से तलवा थोड़ा सा जला हुआ।” इस प्रकार प्रदर्श पी.02 फर्द गिरफ्तारी में जो उक्त तथ्य दर्ज किए गए थे, इस संदर्भ में अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य में भी कोई बात नहीं आई है। उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी.02 के संदर्भ में कोई विवाद भी नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त फर्द में उल्लेखित स्थिति से यह स्पष्ट है कि घटना के समय स्वयं अपीलार्थी अपने घर पर ही मौजूद था और जब उसकी पत्नी जीजा चिल्लाते हुए उसकी तरफ आई तो उसके द्वारा दाहिने पैर से लात मारने के कारण पैर के नीचे से तलवा थोड़ा सा जल गया था। लेकिन इस फर्द में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि अपीलार्थी का हाथ भी जली हुई अवस्था में था। उपर्युक्त तथ्य से यह माना जा सकता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा जलती हुई अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया जाता तो उसके हाथ अवश्य जलते, लेकिन जहां पैर से मृतका को लात मारी गई थी, तब पैर के नीचे का तलवा जला हुआ होने की अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी को जलते हुए बचाने का प्रयास किया गया हो। सामान्यतः पैर के नीचे का तलवा भी तभी जलना संभव था जब जलती हुई महिला के लात मारी गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में जो स्पष्टीकरण दिया



गया है, वह साक्ष्य की उपर्युक्त स्थिति में उसी अनुरूप सही नहीं पाया जाता है।

15. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.28 योगेन्द्र के अनुसार इसके द्वारा अनुसंधान के दौरान ही जब मृतका की मृत्यु हो गई थी, तो प्रकरण में अपराध अंतर्गत धारा 302, 304बी भारतीय दंड संहिता का भी जोड़ा गया था और अनुसंधान के दौरान ही इसके द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का नक्शामौका और हालात मौका बनाते हुए मौके से ही मृतका के जले हुए कपड़े, मिट्टी, प्लास्टिक की केरोसीन की बोतल भी जब्त की गई थी। इस संबंध में पी.डब्ल्यू.02 मनजी ने प्रदर्श पी.02 फर्द हालात मौका के संदर्भ में साक्ष्य दी है। पी.डब्ल्यू.03 नाथू ने भी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.03 एवं पी.04, जो कि जले हुए कपड़े व कंट्रोल मिट्टी है, इस संदर्भ में साक्ष्य दी है। पी.डब्ल्यू.13 मंगला ने भी फर्द जब्ती प्लास्टिक बोतल प्रदर्श पी.04 बाबत अपने कथन किए हैं। पी.डब्ल्यू.06 गौतम के अनुसार भी फर्द जब्ती माचिस की डिब्बी प्रदर्श पी.09 और घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.10 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना कहा है। पी.डब्ल्यू.08 भीमा भी फर्द जब्ती माचिस की डिब्बी प्रदर्श पी.09 एवं घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.10 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना कथन करता है। पी.डब्ल्यू.13 मंगला भी फर्द जब्ती केरोसीन की प्लास्टिक की बोतल प्रदर्श पी.04 पर अपनी अंगूठा निशानी होना कथन करता है। पी.डब्ल्यू.16 कन्हैयालाल ने भी हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.02 पर सी से डी हस्ताक्षर बताए हैं। इसी संदर्भ में पी.डब्ल्यू.18 मुकेश ने भी प्रदर्श पी.09 फर्द जब्ती माचिस की डिब्बी एवं घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.10 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.28 योगेन्द्र की साक्ष्य से भी हुई है। पी.डब्ल्यू.28 योगेन्द्र से, प्रदर्श पी.02 हालात मौका एवं



प्रदर्श पी.10 घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका में स्थिति भिन्न होने के संबंध में भी प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रश्न पूछे गए थे, परन्तु साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि जब सर्वप्रथम पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल ने प्रदर्श पी.19 कथन लेखबद्ध किए थे, उसके पश्चात् वह तुरन्त पहले घटनास्थल पहुंचकर उसे सुरक्षित करता है। इस प्रकार प्रदर्श पी.02 हालात मौका में संपूर्ण स्थिति का खुलासा नहीं हो सकता था, बल्कि यह केवल उस स्थल को सुरक्षित रखने के तथ्य को स्पष्ट करता है। इसके पश्चात् जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, तब पी.डब्ल्यू.28 योगेन्द्र की साक्ष्य के अनुसार उसके द्वारा पुनः मौके पर जाकर संपूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुए ही नक्शा मौका बनाया जाता है। उस वक्त जो स्थिति मौके पर थी, उसका उल्लेख करते हुए पृथक से जब्ती की कार्यवाही भी की जाती है। प्रदर्श पी.03 के अनुसार भी मौके पर जो राखनुमा मृतका के शरीर के पहने हुए कपड़े जले हुए थे, उनको वजह सबूत कपड़े की थैली में डालकर मार्क ई अंकित किया गया था और प्रदर्श पी.04 के अनुसार भी घटनास्थल से मिट्टी के सैंपल भी लिए गए थे, जिनको सूंघने पर केरोसीन की बदबू भी आ रही थी। इस प्रकार मौके की मिट्टी से सैंपल भी लेकर सीलबंद करते हुए उन पर मार्क 'सी' से 'डी' अंकित किया गया था। प्रदर्श पी.04 के अनुसार भी मौके पर जो केरोसीन भरने की एक प्लास्टिक की बोतल थी, उसमें थोड़ा सा केरोसीन भी था, जिसे सूंघने पर केरोसीन की बदबू आ रही थी, इसे भी एक थैली में डालकर मार्क 'बी' अंकित किया गया था। प्रदर्श पी.09 के अनुसार भी मौके से एक माचिस की डिब्बी भी कब्जे में लेकर सीलबंद करते हुए मार्क 'ए' अंकित किया गया था और उपर्युक्त संपूर्ण वजह सबूत मालखाना में जमा होने पर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के पश्चात् जो रिपोर्ट प्रदर्श पी.30 प्राप्त हुई, उसके अनुसार निम्न राय आई थी :-



"On the Instrumental analysis :-

- (1) Presence of some residual inflammable petroleum hydrocarbon fractions were detected in the extract of the exhibit A/1 (Packet marked A) and C/1 (Packet marked C)
- (2) Presence of inflammable petroleum hydrocarbon fractions in kerosene range were detected in the liquid sample contained in the exhibit B/1 (Packet marked B).
- (3) Presence of some residual inflammable petroleum hydrocarbon fractions in kerosene range were detected in the extract of the exhibit E/1 (Packet marked E). "

इस प्रकार जिस प्रकरण की घटना मृतका श्रीमती जीजा द्वारा प्रदर्श पी.19 बयानों में बताई गई थी, जिसमें उसने अपने पति के द्वारा केरोसीन डालकर माचिस से आग लगाना कथन किया था, तत्पश्चात् घटनास्थल से जो वजह सबूत जब्त किए गए, उन्हें जब परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, तो वहां से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित उक्त राय से भी घटना की पुष्टि होती है।

16. पी.डब्ल्यू.11 विकास व पी.डब्ल्यू.23 नरेन्द्र कुमार की साक्ष्य के अनुसार सर्वप्रथम सूचना मिलने पर जब पी.डब्ल्यू.11 विकास मृतका श्रीमती जीजा को एम्बुलेंस से लेकर आता है, तब भी श्रीमती जीजा ने रास्ते में चिल्लाते हुए अपने पति द्वारा उस पर केरोसीन डालकर जला देने के कथन किए थे और उस वक्त यह गवाह मृतका को सी.एच.सी. सेमारी लेकर भी आता है, उस वक्त जो मौखिक रूप से इसने श्रीमती जीजा द्वारा कथन किए गए थे, उसे सुनते हुए, अनुसंधान के दौरान भी कथन करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष भी कथन करता है। इसी प्रकार से पी.डब्ल्यू.23 डॉक्टर नरेन्द्र, जो कि तत्कालीन समय में सी.एच.सी. सेमारी में



मेडिकल ऑफिसर होकर मृतका श्रीमती जीजा का इलाज कर रहा होता है। इसी की ही उपस्थिति में पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल, ए.एस.आई. द्वारा श्रीमती जीजा के बयान भी लिए जाते हैं और जो कथन उसके द्वारा किए जाते हैं, वही बात पी.डब्ल्यू.23 नरेन्द्र भी सुन रहा होता है और यही कथन उसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष भी किए गए थे। इस प्रकार पी.डब्ल्यू.11 विकास व पी.डब्ल्यू.23 नरेन्द्र के समक्ष जो मौखिक रूप से कथन किए गए थे, वे कथन मौखिक मृत्युकालिक कथनों की श्रेणी में भी आते हैं। साक्ष्य से यह स्थिति भी अभिलेख पर नहीं आई है कि मृतका श्रीमती जीजा के अस्पताल में इलाज के दौरान उसके पीहर पक्ष से कोई व्यक्ति मौजूद रहा हो, जिससे इस बात की संभावना रही हो कि मृतका को सीखाया जाकर उसके पति के विरुद्ध गलत बयान दिलाए गए थे। बल्कि इस प्रकरण में तो मृतका के पीहर पक्ष के गवाहों में से अभियोजन पक्ष द्वारा क्रमशः पी.डब्ल्यू.18 मुकेश एवं पी.डब्ल्यू.19 गौतम को पेश किया गया है और इन दोनों ही गवाहों की साक्ष्य के अनुसार मृतका श्रीमती जीजा रिश्ते में उनकी बहन लगती थी और उक्त दोनों ही गवाह अपनी साक्ष्य में यह कहते हैं कि मृतका के पूर्व में दो बार गर्भ गिर गया था, इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी होती रहती थी और इन गवाहों ने स्वाभाविक रूप से यह भी बात कही है कि गमीरा व श्रीमती जीजा आपस में प्रेमपूर्वक रहते थे। इस प्रकार ऐसा भी नहीं है कि पी.डब्ल्यू.18 मुकेश व पी.डब्ल्यू.19 गौतम ने अपनी साक्ष्य में बढ़ा चढ़ाकर कथन किए हों, बल्कि इन गवाहों के कथनों से यह स्थिति भी स्पष्ट होती है कि मृतका के बच्चे नहीं रहने की बात को लेकर उसकी अपने पति से कहासुनी होती रहती थी, जैसा कि अभिलेख पर आई अन्य गवाहों की साक्ष्य से भी स्पष्ट होता है और यही कारण मृतका द्वारा अपने कथन प्रदर्श पी.19 में भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त भी पी.डब्ल्यू.11 विकास,



पी.डब्ल्यू.23 नरेन्द्र एवं स्वयं कथन लेखबद्ध करने वाला पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल मृतका श्रीमती जीजा के लिए अनजान व्यक्ति थे और इन गवाहों से मृतका की कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी और ये तीनों मृतका श्रीमती जीजा को पूर्व से जानते भी नहीं थे। इस प्रकार जहां मृतका के पीहर पक्ष का भी कोई व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं था और जब वह इलाज के दौरान सर्वप्रथम सी.एच.सी. सेमारी में थी, वहां भी पीहर पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं था और कथन लेखबद्ध करने वाला एवं उपस्थित डॉक्टर भी उसके लिए अनजान थे। इस स्थिति में मृतका द्वारा जो प्रदर्श पी.19 कथन किए गए, उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। बल्कि इस प्रकरण में तो साक्ष्य से यह स्थिति भी स्पष्ट हुई है कि पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल द्वारा मृतका के बयान लेते समय इलाज करने वाले चिकित्सक पी.डब्ल्यू.23 नरेन्द्र भी वहां उपस्थित था, जिसके सुनते हुए प्रदर्श पी.19 कथन लेखबद्ध किए गए थे और प्रदर्श पी.19 पर भी उपस्थित डॉक्टर द्वारा ई से एफ अपना पृष्ठांकन करते हुए जी से एच सील सहित हस्ताक्षर भी किए गए थे। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **Tanua Rabidas Vs. State of Assam; AIR 2014 SC 3769** में भी अभियुक्तगण पर केरोसीन से जलाने का आरोप अपराध अंतर्गत धारा 302, 326, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत था, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने पर इसकी पुष्टि किए जाने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष को सही ठहराया गया था। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 14 व 17 में भी निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है :-

"14. We do not find any force in the submission made by Mr. Goswami. Indisputedly, PW-6 Dr. Langkumer and PW-7 Nabanita Barauh came in contact with the victim only when she was brought to the hospital for treatment. There is nothing on record to show that the victim was



known to them. Further, they are not related to the victim nor they are interested witnesses.

17. Moreover on careful scrutiny, the Sessions Court was fully satisfied that the evidence of PW-6 Dr. Langkumer is true and there is no evidence to the contrary that any effort was made by anyone to induce the deceased to make the false statement. Further absence of smell of kerosene oil in the hair of the deceased sent for chemical examination does not render the dying declaration doubtful and unbelievable as held by this Court in the case of State of Rajasthan v. Kishore: (1996) 8 SCC 217."

17. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.28 योगेन्द्र के प्रतिपरीक्षण के दौरान अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् उसकी प्रति संबंधित न्यायालय में विलम्ब से प्रेषित किए जाने के संबंध में भी प्रश्न पूछे गए थे। यद्यपि इस अपील की बहस के दौरान इस बाबत कोई आपत्ति नहीं की गई है, लेकिन पी.डब्ल्यू.28 योगेन्द्र से प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संबंधित न्यायालय को विलम्ब से प्रेषित किए जाने के आधार पर भी प्रकरण में संदेह व्यक्त किया गया था और इस बाबत भी पी.डब्ल्यू.28 योगेन्द्र ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बात को सही बताया कि चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.26 न्यायालय में दिनांक 31.05.2017 को 8:15 ए.एम. पर पहुंची। स्वयं कहा कि उसने दिनांक 29.05.2017 को डिस्पैच कर दी थी। उसकी जानकारी में नहीं है कि एफ.आई.आर. देशी से पहुंचने पर न्यायालय ने उसे नोटिस दिया हो, जिसका उसने जवाब दिया हो। पत्रावली पर न्यायालय का नोटिस प्रदर्श डी.01 व जवाब प्रदर्श डी.02 देखकर कहा कि न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब उसने प्रदर्श डी.02 दिया था। गवाह द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन संबंधित



न्यायालय को उसकी नकल पहुंचाने के संबंध में कथन किए गए थे, इस बाबत भी प्रदर्श पी.26 पर्चा चाक एफ.आई.आर. के अवलोकन से भी यह पाया जाता है कि संबंधित न्यायालय को प्रेषित करने के संबंध में डिस्पैच नंबर 1607-11/29.05.2017 का उल्लेख है और न्यायालय में दिनांक 31.03.2017 को समय 8:15 ए.एम. पर पहुंचने का संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट का पृष्ठांकन है। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि प्रदर्श पी.19 बयान के आधार पर शाम के समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, जिसको उसी दिन डिस्पैच करने के पश्चात् यह एक दिन पश्चात् दिनांक 31.05.2017 को संबंधित न्यायालय में पहुंचती है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर स्पष्टीकरण लेने के पश्चात् ही संतुष्ट होने की वजह से ही अपने द्वारा दिए गए निर्णय में मात्र इसी को ही अभियोजन पक्ष के विरुद्ध नहीं माना है और वैसे भी इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्णय **Bijoy Singh & Anr vs State Of Bihar; AIR 2002 SC 1949** के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट (न्यायालय) को अविलम्ब भेजे जाने का कारण यही है कि धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान एजेंसी पर बाहरी नियंत्रण रखा जा सके एवं इस बात की गुंजाइश नहीं रहे कि जो सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसमें कोई बदलाव किया जा सके। इस प्रकार केवल दो दिन के विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट (न्यायालय) के पास पहुंचने के आधार पर ही अभियोजन पक्ष के पूरे प्रकरण पर संदेह नहीं किया जा सकता।

18. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता की ओर से अपनी बहस के दौरान यह भी कहा गया है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी और मृतका, जो कि दोनों पति-पत्नी हैं, उनके बीच बच्चों के नहीं रहने की बात पर जो अचानक झगड़ा हुआ था, उस स्थिति को देखते हुए ही अपराध अंतर्गत



धारा 302 भारतीय दंड संहिता का प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि इसके स्थान पर अधिक से अधिक अपराध अंतर्गत धारा 304 के भाग—I या भाग—II भारतीय दंड संहिता के तहत ही दोषसिद्धि की जा सकती थी। जबकि उक्त स्थिति का विद्वान लोक अभियोजक द्वारा खंडन भी किया गया है। इस संदर्भ में पी.डब्ल्यू.01 आशीष गर्ग द्वारा बोर्ड का गठन होने के पश्चात् मृतका श्रीमती जीजा के शव का पोस्टमार्टम किया गया था, इस गवाह ने कहा कि बोर्ड के द्वारा दिनांक 30.05.2017 को शाम 02 बजकर 05 मिनट पर पोस्टमार्टम शुरू किया गया, जिसमें मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम से 12–24 घंटे पूर्व की पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर मय सील होना और सी से डी डॉक्टर मनीष कुमार और ई से एफ डॉक्टर गुणवन्ती मीणा के हस्ताक्षर बताए। यह भी कहा कि मृत्यु बाबत राय का अंकन जी से एच है, जिसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा मृत्यु का कारण शॉक (आघात) पाया गया, जो कि मृत्यु से पूर्व जलने के कारण था, जो मृत्यु कारित करने के लिए सामान्य प्रकृति में पर्याप्त है। मृतका के शरीर पर सिर, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, दोनों अग्रपाद और पश्चपाद, जननांग, हथेली सतही से गहराई तक जले हुए थे। शरीर की चमड़ी काली हो उखड़ी हुई थी। बाल जले हुए थे। शरीर पर इन्फ्लेमेशन गंभीर और प्राणघातक था, जो कि आग की लपटों के कारण कारित था। जलने वाले भाग लाल थे। मृतका का 92 से 95 प्रतिशत भाग जला हुआ था, जो कि गंभीर और प्राणघातक था, जो कि आग की लपटों के कारण कारित था। प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया कि शरीर के जले हुए भाग का प्रतिशत मृत्यु होने के लिए पर्याप्त था। इस बात को भी सही बताया कि यह केस सतह से गहराई तक जलने वाला केस था। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा जो साक्ष्य दी गई है, उसके साथ ही प्रतिपरीक्षण में सुझाव देने पर भी गवाह ने इस बात को सही बताया कि



मृतका के शरीर पर जले हुए भाग के प्रतिशत मृत्यु होने के लिए पर्याप्त था और जो मृतका के शरीर पर जलने की स्थिति थी, वह सभी चोटें प्राणघातक होकर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकरण में अभिलेख पर जो उक्त साक्ष्य आई है, वह इस प्रकार की नहीं है कि जिसमें न्यायालय द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता को तय करने के लिए जिस व्यक्ति द्वारा चोट कारित की जाती है, उसके द्वारा प्रयोग में लिया गया हथियार, अवसर की उपलब्धता एवं शरीर का वह भाग, जिस पर चोट कारित की गई थी एवं आशय को देखा जाना हो बल्कि यह प्रकरण सीधे तौर पर मृतका श्रीमती जीजा पर केरोसीन डालकर जलाने का था और अत्यधिक जलने की वजह से ही मृतका को जब सर्वप्रथम सी.एच.सी. सेमारी लाया गया, वहां लगभग एक घंटे रखने के बाद स्थिति गंभीर होने से उदयपुर रेफर होने पर वहां उसकी मृत्यु जलने की वजह से हो गई थी और ये सभी जो भाग जले हुए थे, मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे। इस संदर्भ में अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का **Criminal Misc. Bail Application No. 3162 of 2021; Ganesh Vs. State of U.P.; 2022 LiveLaw (AB) 515** जो निर्णय पेश किया गया है, वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के संबंध में है, जिसमें कि पीड़िता द्वारा समर्थन भी नहीं किया गया था। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय इस प्रकरण की स्थिति से भिन्न होना प्रकट होता है। बल्कि इस प्रकरण की समान परिस्थितियों के अनुरूप ही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **Naresh v. State of NCT of Delhi; Criminal Appeal No. 1189/2012** में पारित आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2024 में भी पति द्वारा पत्नी पर केरोसीन डालकर जलाने का



अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप था, जिसमें सेशन न्यायालय दिल्ली द्वारा की गई दोषसिद्धि के पश्चात् उच्च न्यायालय में अपील करने पर उक्त निर्णय की पुष्टि की गई थी। तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी अपील होने पर अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता के स्थान पर धारा 304 भाग—I का ही अपराध साबित होने का जो आधार अभियुक्त की ओर से लिया गया था, उसे नहीं मानते हुए अपील अस्वीकार की गई थी। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 2, 4 एवं 5 में भी निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है :—

"2. Learned Senior Counsel Mr. Sirajudeen for the appellant submits that there was no intention on the part of the appellant to kill his wife. He further submits that after pouring kerosene oil on his wife, the appellant tried to extinguish the fire by pouring a bucket of water over her and hence, the case of the appellant would fall under Part I of Section 304 and not under Section 302 IPC. He also relied upon the dying declaration of the deceased.

4. Having heard learned counsel for the parties and on carefully perusing the material placed on record, we find no merit in the submission made by learned Senior Counsel for the appellant that the case of the appellant would fall under Section 304 Part-I and not under Section 302 IPC, for the simple reason that neither such a plea was taken by the appellant in his defence during the course of trial nor such a contention was raised by him at the time of recording of his statement under Section 313 Cr.P.C. In our considered opinion, setting a person on fire is an act of extreme cruelty and would fall under Section 302 IPC. Hence, we find no illegality or infirmity in the



judgments and orders passed by the Sessions Court or the High Court.

5. The appeal is, accordingly, dismissed."

ऐसी स्थिति में अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता के स्थान पर अपराध अंतर्गत धारा 304 भाग—I या भाग—II का बनना नहीं पाया जाता है, बल्कि अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता का ही प्रमाणित होना पाया जाता है।

19. इस प्रकार उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि जो सर्वप्रथम प्रदर्श पी.19 कथन मृतका श्रीमती जीजा द्वारा पी.डब्ल्यू.22 मन्नालाल, ए.एस.आई. को उपस्थित डॉ. नरेन्द्र के समक्ष किए गए थे, उस वक्त वह बयान देने की सही स्थिति में थी और इसकी पुष्टि जिस एम्बुलेंस में मृतका को अस्पताल लाया गया था, उसके चालक पी.डब्ल्यू.11 विकास के कथनों से भी होती है। अपीलार्थी की ओर से जो स्पष्टीकरण अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है, वह उसी अनुरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होना नहीं पाया गया है, बल्कि घटनास्थल से जो मिट्टी, मृतका के जले हुए कपड़े, केरोसीन की बोतल और माचिस की डिब्बी जब्त करते हुए सीलबंद कर उन्हें परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया, वहां से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी.30 से भी केरोसीन से जलाने की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी की जो दोषसिद्धि अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता में की गई है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होना प्रकट नहीं होता है।

20. परिणामतः अपीलार्थी—अभियुक्त की जो दोषसिद्धि अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई है, उसकी पुष्टि की जाती है। सजा के प्रश्न पर अपीलार्थी के



[2026:RJ-JD:14203-DB]

(32 of 32)

2026:RJ-JD:14203-DB
[CRLAD-57/2022]

विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी को आशयपूर्वक जलाकर हत्या किए जाने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्धि के पश्चात् जो दंडादेश दिया गया है, वह भी न्यायोचित होने से अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.02.2021 में की गई दोषसिद्धि व दंडादेश की पुष्टि की जाती है।

इस आदेश की एक प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख शीघ्र प्रेषित हो।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J (VINIT KUMAR MATHUR),J

138-Vishal-Rajendra/-